# सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के परिदृश्य में ईएसआईसी

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 मौजूदा 9 सामाजिक सुरक्षा कानूनों को समेकत और संशोधत संशोधत करता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है तथा ईएसआई संबंधी प्रावधान मुख्य रूप से संहिता के अध्याय 4 द्वारा प्रशासित हैं । ईएसआई योजना अंशदान तथा प्रमुख हितलाभ – जैसे चिकित्सीय लाभ, अस्वस्थता लाभ, प्रसूति लाभ, स्थायी/आंशिक विकलांगता लाभ, आश्रित लाभ तथा अंतिम संस्कार व्यय – मूल रूप से ईएसआई अधिनियम के समान ही रखे गए हैं, किन्तु अब ये एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ढाँचे के अंतर्गत श्रमिकों को लाभ मिलेगा ।

- 10 या अधक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू।
- 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान।
- खतरनाक श्रेणी के संस्थानों में कार्यरत एक भी कर्मचारी पर ईएसआई अनुपालन अनिवार्य ।
- ESI का कवरेज भवष्य में गग, प्लेटफॉर्म, असंगठित श्रमकों को भी शामल कया गया है गया है ।
- हितलाभ में मेडकल बेनिफट, मातृत्व, वकलांगता, आश्रत पेंशन आदि शामल ।
- ESIC प्रशासन को अधक शक्तियाँ व डिजिटल व्यवस्था।
- मजदूरी / वेतन की परिभाषा में संशोधन उपरांत नियोक्ता व कर्मचारी के अंशदान में बचत, जबक सुवधा बरकरार ।

## पूरे भारत में ईएसआई कवरेज का वस्तार -

पूर्व में ईएसआई अधनियम के अंतर्गत कवरेज अधसूचत क्षेत्रों और 10 या अधक व्यक्तियों को को नियोजित करने वाले कारखानों/संस्थानों तक सीमत था। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत समस्त देश में योग्य प्रतिष्ठानों तक ईएसआई कवरेज का वस्तार हो चुका है ।

संहिता में 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के स्वैच्छिक कवरेज की भी व्यवस्था की गई। तथा **Plantation** आदि क्षेत्रों में भी, निर्धारित शर्तों के अधीन, ईएसआई कवरेज को स्वैच्छिक रूप से लागू कया जा चुका है।

**जोखिम वाले व्यवसायों पर विशेष बल**

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में यह व्यवस्था की गई है क केंद्र सरकार द्वारा अधसूचत जोखमपूर्ण संस्थानों में कार्यरत एक भी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से ईएसआई के अंतर्गत कवर कया जाएगा।

गग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर :

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की एक महत्वपूर्ण वशेषता यह है क इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कोष **(Social Security Fund)** की परिकल्पना की गई है और असंगठित श्रमकों, गग एवं प्लेटफॉर्म श्रमकों आदि के लए वशष्ट योजनाएँ बनाने का प्रावधान प्रावधान कया गया है। इस समेकत दृष्टिकोण के माध्यम से ईएसआई की स्वास्थ्य सुवधाएँ द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कया जा रहा है।

मजदूरी की परिभाषा

पहले अलग-अलग श्रम कानूनों में मजदूरी की भन्न-भन्न परिभाषाएँ थीं इसे दूर करते करते हुए सोशल सक्योरिटी कोड 2020 सभी केंद्रीय श्रम कानूनों के लए एक समान **(Uniform)** मजदूरी की परिभाषा लागू करता है। कोड के अनुसार मजदूरी में तीन मुख्य तत्व शामल हैं: **Basic Pay** (मूल वेतन), **Dearness Allowance – DA** (महँगाई भत्ता) एवं **Retaining Allowance** (रिटेनिंग भत्ता)। इन तीनों को मलाकर ही **“Wages”** (मजदूरी) माना जाएगा। इससे नियोक्ता व कर्मचारी के अंशदान राश में बचत होगी।

**परिवार एवं आश्रितों की विस्तृत परिभाषा**

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में महिला कर्मचारी को ससुर-सास को भी लाभार्थी के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जिससे परिवार के व्यापक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त हो सके।

## नियोक्ताओं के सरल और एकल अनुपालन  सस्टम

नियोक्ता एक ही पोर्टल के माध्यम से सभी प्रावधानों के  लए एकल पंजीकरण कर सकेंगे । ही एक रिटर्न के माध्यम से सभी तरह के अंशदान अनुपालन की **suvid**

नियोक्ता एक ही पोर्टल पर **ESIC, EPFO, Gratuity, Cess** आदि से संबंधत सभी रिटर्न और अनुपालन कर पाएँगे।

## **अनुपालन, प्रवर्तन एवं नियोक्ताओं की जिम्मेदारियाँ**

नई संहिता में निरीक्षण एवं अनुपालन की प्रक्रया को सरल एवं तर्कसंगत बनाने हेतु "निरीक्षक- "निरीक्षक-सह-सुवधादाता" की व्यवस्था करते हुए इन्स्पेक्टर राज से मुक्ति के प्रावधान अपनाए गए हैं । जो  नियोक्ताओं को अनुपालन सुधारने हेतु अवसर प्रदान करने और सुवधा-प्रधान दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है ।

- केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि सलाह देने और मार्गदर्शन की भी जिम्मेदारी।
- निरीक्षण के दौरान नियोक्ता को अनुपालन की प्रक्रया समझाना।
- डजिटल रिकॉर्ड की जाँच करना।
- केवल जोखम-आधारित सूची के आधार पर ही निरीक्षण करना ।

## अपराधों का समाधान

पहली बार के अपराध जो जुर्माने के रूप में दंडनीय हैं, वे अधकतम जुर्माने की **50%** राश का भुगतान करके क्षमा योग्य होंगे और जुर्माना या कारावास या दोनों के साथ सजा भी अधकतम जुर्माने की **75%** राश का भुगतान करके समाधान योग्य होगी । यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनस को बढ़ावा देने वाली है ।